संख्या-19/2022/1585/63-व0उ0-2022-72(एच)/2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,
उ0प्र0 कानपुर।

3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 06 दिसम्बर,2022**

विषयः- मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना का प्रख्यापन।

महोदय,

प्रदेश में 2,50,000 पावरलूम कार्यरत् है जिनके माध्यम से 5,50,000 पावरलूम बुनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में स्थापित पावरलूमों को सामान्यतः विद्युत से संचालित किया जा रहा है। अत्याधिक विद्युत कटौती तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के अभाव के कारण उत्पादकता तथा वस्त्र उत्पादन में कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप पावरलूम बुनकर की आमदनी में गिरावट हो जाती है। पावरलूम बुनकर को पूर्व में दी जा रही विद्युत छूट में परिवर्तन हो जाने के कारण भी, विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी होने के फलस्वरूप, पावरलूम पर वस्त्र उत्पादन की लागत में बढ़ोत्तरी हो गयी है। नियमित विद्युत आपूर्ति के अभाव में अधिकांश बुनकरों द्वारा डीजल जेनेरेटर का उपयोग पावरलूम के संचालन हेतु किया जाता है। इस कारण से पर्यावरण में वायु प्रदूषण बढ़ता है, साथ हीं साथ उत्पादन की लागत में वृद्वि भी हो जाती है। प्रदेश में वर्तमान में पावरलूम बुनकरों द्वारा 05 किलोवाट से अधिक 12,486 विद्युत कनेक्शन लिये गये है जिन्हें योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये जाने का प्रस्ताव है। अतः पावरलूम बुनकरों को गैर पारम्परिक ऊर्जा/सौर ऊर्जा का लाभ दिलाने, पर्यावरण की रक्षा एवं बुनकरों को वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में बनाये रखने हेतु अनुदानित दर पर यूपीनेडा के माध्यम से सौर ऊर्जा संयंत्र दिये जाने का प्रस्ताव है।

2- यह योजना "मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना" के नाम से संचालित की जायेगी। यूपीनेडा को कार्यदायी संस्था बनाया जायेगा। यूपीनेडा द्वारा आनुषांगिक आय के रूप में प्रति संयत्र 03 प्रतिशत धनराशि लिया जायेगा।

3- व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर/समिति/यूनिट की पात्रताः- 1- बुनकर की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच हो।
बुनकर वस्त्र उत्पादन में कार्यरत हो।
2- बुनकर के पास बुनकर परिचय पत्र एवं विद्युत विभाग द्वारा निर्गत विद्युत कनेक्षन का प्रमाण हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- बुनकर के पास आधार कार्ड अथवा फोटोयुक्त वोटर कार्ड होना चाहिए।

4- बुनकर के पास सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये उपयुक्त स्थान/छत उपलब्ध हों।

5- सहकारी समिति वैधानिक संचालक मण्डल के साथ कार्यशील हो तथा उसकी बैलेन्सशीट अद्यतन होनी चाहिये।

4- योजना का वित्तीय स्रोतः- सामान्य पावरलूम बुनकरों हेतु सोलर प्लान्ट की कुल लागत का 50 प्रतिशत शासकीय अनुदान देय होगा। इस लागत में संयत्र की लागत के साथ, यूपीनेडा (कार्यदायी संस्था) की 03 प्रतिशत आनुषांगिक आय एवं जी0एस0टी0 सम्मिलित है। शेष 50 प्रतिशत या अतिरिक्त लगने वाली धनराशि लाभार्थी स्वयं अपने स्रोतो से अथवा बैंक से ऋण लेकर वहन करेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के पावरलूम बुनकरों हेतु सोलर प्लान्ट की कुल लागत का 75 प्रतिशत राज्य के अनुदान के रूप में देय होगा। शेष 25 प्रतिशत या अतिरिक्त लगने वाली धनराशि लाभार्थी स्वयं अपने स्रोतो से अथवा बैंक से ऋण लेकर वहन करेगा। (संलग्नक पताका-"क")

5- योजना के अन्तर्गत लाभार्थी चयन की प्रक्रियाः-

(1)- सर्वप्रथम योजना का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से कराया जायेगा। पावरलूम बुनकरों की संस्था/यूनिट/लाभार्थी की पात्रता के अनुसार लाभार्थी से आवेदन पत्र सहायक आयुक्त हथकरघा के परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यालय स्तर पर पात्रता की जाँच की जाएगी। तत्पश्चात परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी के समक्ष परीक्षण एवं अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

(2)- 10 किलोवाट तक के सोलर प्लान्ट के लिये परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी से अनुमोदन के उपरान्त जनपदवार प्रस्तावों पर सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा स्वीकृति प्रदान करेंगें तथा निदेशालय को सूचित करेंगें। 10 किलोवाट से अधिक के लिये सोलर प्लान्ट की स्वीकृति राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा की जायेगी।

6-(अ)- 10 किलोवाट तक के सोलर प्लान्ट के प्रस्तावों की स्वीकृति परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी द्वारा की जायेगी।

योजनान्तर्गत परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी का गठन निम्नवत् होगाः-

1- सम्बन्धित परिक्षेत्र के मण्डलायुक्त	-	अध्यक्ष
2- मण्डलीय संयुक्त आयुक्त उद्योग	-	सदस्य
3- परियोजना अधिकारी नेडा	-	सदस्य
4- जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित पावरलूम का एक बुनकर	-	सदस्य
5- परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	-	सदस्य/सचिव

6-(ब)- 10 किलोवाट से अधिक के सोलर प्लान्ट के प्रस्तावों की स्वीकृति राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा की जायेगीः-

योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय कमेटी का गठन निम्नवत् होगाः-

1- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय	-	अध्यक्ष
2- निदेशक, नेडा या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य
3- वित्त नियन्त्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय	-	सदस्य
4- संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय	-	सदस्य
5- योजनाधिकारी, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय	-	सदस्य/सचिव

7- सामान्य बिन्दुः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(i) यह योजना लागू होने की तिथि से पाँच वर्ष के लिये कार्यान्वित की जायेगी। पाँच वर्ष के उपरान्त योजना का बुनकरों की स्थिति पर पड़े प्रभाव का अध्ययन कराने के उपरान्त योजना को आगे गतिमान रखने पर यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

(ii) योजनान्तर्गत लाभार्थियो की संख्या वित्तीय वर्ष में प्राविधानित बजट के सापेक्ष निर्धारित की जायेगी।

(iii) योजनान्तर्गत कम से कम 10 प्रतिशत महिला बुनकरों को योजना का लाभ दिया जायेगा।

(iv) वर्तमान में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के शासनादेश संख्या-1/2019/1403/63-व0उ0-2019-60(एच)/2016टी0सी-।। दिनांक 14.12.2019 के अनुसार पावरलूम बुनकरों को विद्युत आपूर्ति अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना का लाभ प्राप्त करने वाले पावरलूम बुनकरों को सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित होने वाली बिजली यूनिट्स तक का विद्युत आपूर्ति अनुदान देय नहीं होगा। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के लाभार्थियों की सूचना हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा उ0प्र0 पावर कारपारेशन लि0 को दी जायेगी।

8- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता के आधार पर बुनकरों को प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। उपर्युक्त मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना में समय की आवश्यकता के अनुरूप किसी प्रकार का संशोधन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा। अतः उक्तानुसार मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-19/2022/1585(1)/63-व0उ0-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
10- निदेशक, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, (आई0आई0एच0टी0) चैकाघाट, वाराणसी।
11- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
12- गार्ड फाइल।,

आज्ञा से,

(शेषमणि पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पताका-''क''

4-(अ)-योजना का वित्तीय स्रोत:-

(धनराशि लाख रु0 में)

सोलर प्लान्ट की क्षमता	योजनान्तर्गत उपकरण की शुद्ध लागत	सामान्य पावरलूम बुनकर हेतु			अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकर हेतु		
		शासकीय अनुदान (50प्रतिशत राज्य सरकार)	लाभार्थी अंश (50 प्रतिशत)	योग	अनुदान (75 प्रतिशत राज्य सरकार)	लाभार्थी अंश (25 प्रतिशत)	योग
5 किलोवाट (लीथियम बैटरी के साथ)	8.71	4.35	4.35	8.71	6.53	2.17	8.71
6 किलोवाट (लीथियम बैटरी के साथ)	10.46	5.23	5.23	10.46	7.845	2.615	10.46
8 किलोवाट (लीथियम बैटरी के साथ)	13.95	6.975	6.975	13.95	10.46	3.49	13.95
10 किलोवाट (लीथियम बैटरी के साथ)	17.44	8.27	8.27	17.44	13.08	4.36	17.44
12 किलोवाट (लीथियम बैटरी के साथ)	20.22	10.11	10.11	20.22	15.165	5.055	20.22
15 किलोवाट (लीथियम बैटरी के साथ)	25.27	12.635	12.635	25.27	18.952	6.318	25.27
20 किलोवाट (लीथियम बैटरी के साथ)	33.70	16.85	16.85	33.70	30.33	3.37	33.70
25 किलोवाट (लीथियम बैटरी के साथ)	42.12	21.06	21.06	42.12	31.59	10.53	42.12

उपरोक्त दरें यूपीनेडा से प्राप्त की गयी है। उपरोक्त दरों मे यूपीनेडा स्तर पर किसी प्रकार के परिवर्तन होने की स्थिति में परिवर्तित दर मान्य की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।